

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-अनियमितता-203/2020-1612 (मो) /पटना, दिनांक-24/8/2020
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:-भोजपुर जिलान्तर्गत चरपोखरी प्रखण्ड के इटौर ग्राम में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कराये जा रहे पोखरा का जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम-इटौर, अंचल-चरपोखरी, जिला-भोजपुर, (आरा) द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रसंग में विभागीय मंत्री कोषांग के गै०स०प्रे०संख्या-761, दिनांक-29.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम-इटौर, अंचल-चरपोखरी, जिला-भोजपुर, (आरा) द्वारा सूचित किया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत चरपोखरी प्रखण्ड के इटौर ग्राम में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत क्रियान्वित की जा रही पोखर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। उक्त पोखरा के जीर्णोद्धार कार्य में काटी गयी मिट्टी को बेचे जाने का आरोप है एवं सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा उक्त पोखरा के किये गये सीमांकन का अनुपालन संवेदक द्वारा नहीं किये जाने का भी उल्लेख है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि लगाये गये आरोपों की जांच कर, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय तथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1612 (मो)

/पटना, दिनांक-24/8/2020

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1612 (मो)

/पटना, दिनांक-24/8/2020

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1612 (मो)

/पटना, दिनांक-24/8/2020

प्रतिलिपि- श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम-इटौर, अंचल-चरपोखरी, जिला-भोजपुर, (आरा) को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

वा में,

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

माननीय मुख्यमंत्री, सं. प्रे. सं. 761
बिहार सरकार, पटना, दिनांक 29.06.2020

यह मान लिये जाये
कि लघु जल संसाधन विभाग
कोषांग में लघु जल संसाधन
विभाग द्वारा जारी की गई
सूचना (न.सं. 11-2020/2020)
म. 6.
2020
(नरेन्द्र नारायण यादव)

31/07/2020

विषय - वर्ष 2019-20 में भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत इटौर मौजा, थाना नं० 218, लघु जल संसाधन विभाग नं० 244, खेसरा नं० 1625, जिसका रकबा 9.46 एकड़ में लघु जल संसाधन कार्यपालक अभियंता के देखरेख के बगैर मिट्टी हटाये पोखर जिर्णोद्धार 06 कार्य में अनियमितता के संबंध में।

महाशय,

(अथवा मुख्य सचिव व निवेदन है)

योजना अभियान के तहत पोखरा जिर्णोद्धार का काम युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। जिर्णोद्धार के दौरान 1 करोड़ 35 लाख 18 हजार 500 रुपये खर्च करने से संबंधित बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड लगाने के बाद जिर्णोद्धार में काटी गयी मिट्टी बांध के अलावा अब तक की सारी मिट्टी बेच दी गयी। दबंगई दिखाकर बिना सीमांकन कराये ही मनमानी और दबंगई पूर्वक कार्य की जाने लगी। दर्जनों पेड़ों को जेसीबी और पोकलेन से उखाड़ फेंका गया और क्षत विक्षत किया गया। ऐसा देख ग्रामीणों को राश नहीं आया। यह सूचना अनुमंडलाधिकारी, पीरो को दी गयी। अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर अंचलाधिकारी, चरपोखरी यह सूचना लघु जल संसाधन विभाग को दिये और कार्यस्थल पर जाकर पोखर का सीमांकन कराये और साफ शब्दों में अंचलाधिकारी महोदय ने कहा कि 9.46 एकड़ के प्वाइंट में ही काम करना होगा। जबकि कार्य 9.46 एकड़ के बाहर और अंदर दोनों ही किया गया। लगभग 46 डीसमील जमीन छटे ही रहने दिया गया और निजी भूमि में भी पोखर का बांध बनाया गया। संवेदक संजय कुमार राय द्वारा जिर्णोद्धार कार्य में मिट्टी 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत ही कटाई कि गई है जिसे बैंक के शिवाय सारी मिट्टी बेच दि गई है। संवेदक के साथ असमाजिक तत्वों द्वारा आवाजाही करते रहे। कुछ भी कहने पर असामाजिक व्यक्तियों से धमकी दी जाती की यदि कोई खिलाफ आवेदन देगा तो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जब से जिर्णोद्धार कार्य फरवरी माह से प्रारंभ किये है। तब से अब तक गांव में कौतूहल मचा है और शांति भंग हुयी है। आपसी मतभेद लगा रहता है। भयावह स्थिति बनी हुयी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि निगरानी विभाग से

जांच कराकर सरकारी राशि का गबन व गांव की शांति भंग होने से बचाने की कृपा प्रदान कि जाये।

प्रतिलिपि :-

1. मंत्री, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, बिहार, पटना।
 2. जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा।
 3. कार्यपालक अभियंता, आरा, भोजपुर।
 4. अनुमंडलाधिकारी, पीरो, भोजपुर।
 5. अंचलाधिकारी, चरपोखरी, भोजपुर।
- को आवश्यक कारवाई व सूचनार्थ प्रेषित।

आपका विश्वासभाजन
समस्त ग्रामवासी

संपर्क सूत्र
9308035958
8757616234

राधेवन्द सिंह
अजय कुमार राय
ज्वलना सिंह

3404 (प्रौ.)
13/8/20

देवेन्द्र सिंह
शैलेंद्रा सिंह

Samsker - Pat
Sanjit Kumar
अनिल राय
संजय कुमार राय

Suman Kumar Singh
संतोष कुमार सिंह
सुधी कुमार सिंह
~~R. K. Singh~~
Kavita Kumar
Bhupendra Kumar

दुर्गा सिंह
हरेश्वर सिंह
Bhaskar Singh

नारायण सिंह
संतोष सिंह
पुत्र कुमार सिंह
गौतम कुमार
विष्णु कुमार
वीर सिंह
S. Singh
अशोक सिंह

Rishi Ravi Singh
सुवास कुमार सिंह
कुजवल सिंह

ब्रजेश सिंह
विक्रम कुमार सिंह
शंकर शर्मा
सुनिल कुमार

शिवेंद्र सिंह
Rishu Kumar Singh
शुभेश सिंह
Manish Kumar
राज कुमार
शिविका कुमार